


परिपत्र

**विषय: बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) की प्रतिपूर्ति - के संबंध में।**

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27012/02/2017-स्था.(एएल) के अनुसरण में, सभी कार्मिकों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष पूरा होने के पश्चात की जाएगी।

इसलिए, सभी कार्मिकों से अनुरोध है कि वे तदनुसार बाल शिक्षा भत्ता (सी.ई.ए) की प्रतिपूर्ति के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत करें।

  
(डॉ संदीप चटर्जी)  
कुलसचिव

सेवा में,

सभी संकाय सदस्य और अन्य समूह "क" अधिकारी (शिक्षण और गैर-शिक्षण)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - कुलपति को सूचनार्थ
2. कुलसचिव के निजी सहायक - रिकॉर्ड के लिए
3. वित्त अधिकारी
4. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
5. मास्टर फाइल
6. अनुभाग की गार्ड फाइल